02-02-2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की तलबी हेतु मुनासिब कार्यवाही अर्थात सम्मन तलबाना प्रस्तुत किये जाने हेतु काफी लम्बे अर्से से लम्बित है इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा वकील वादिया को कई अवसर दिये जा चुके हैं। इतने अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादिया की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत वाद को सिद्ध करना/नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति किये जाने का उत्तरदायित्व वादिया/वादी का ही रहता है ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 रूल्स 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण बोजह अदमपैरवी/अदम तामील में यह प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

02/2/2024